संख्या-98/2016/2317/सैंतीस-2-2016-1(32)/2015टीसी

प्रेषक,

पी. के. महान्ति,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-29 सितम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/व्यय किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-274/सा0-1/एक्स-84(120)/बहु.स.प.चि.से./2016-17, दिनांक-23.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-09-बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित रू0-3300.00 लाख के सापेक्ष डी.जी.एस.एण्ड डी. दरों पर नियमानुसार मे0 टाटा मोटर्स लि0 की 612 टाटा सूमो गोल्ड, ए.सी., बी.एस.-4 (प्रति वाहन रू0-5,38,966/- की दर से) वाहनों के क्रय हेतु कुल रू0-32,98,47,192.00 (रूपये बत्तीस करोड़ अठ्ठान्नवे लाख सैंतालिस हजार एक सौ बान्नवे मात्र) की वित्तीय/व्यय किये जाने की स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. प्रश्नगत वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक-12 नवम्बर, 1986 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. वाहनों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 की होगी।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा जिस कार्य/मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उससे इतर कार्य/मद में धनराशि का व्यय न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. क्रय किये जा रहे वाहनों का उपयोग/संचालन शासनादेश संख्या-2080/सैंतीस-2-2016-1(32)/2015टीसी, दिनांक-26.09.2016 द्वारा निर्गत योजना की मार्ग-निर्देशिका के अनुसार किया जायेगा।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-09-बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना)-14-मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-यू.ओ.-940/दस-2016, दिनांक-29.09.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी. के. महान्ति)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-98/2016/2317(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in